संख्याः 132 /XXVII(7)40/2018

प्रेषकः

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः04मई, 2018

विषयः– ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–770/XXVII(7)40(ix)/2011 दिनांक 06 नवम्बर, 2013 में उपबन्धित है कि रूपये 4800 ग्रेड वेतन या उससे न्यून पाने वाले मौलिक रूप से नियुक्त राज्य कर्मचारियो के लिये जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध है, वहां पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में तथा जहां पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, वहां शासनादेश संख्या–395/ XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक–1 में उपलब्ध तालिका के अनुसार अगला ग्रेड वेतन एवं सुसंगत वेतन बैण्ड वैयक्तिक रूप से अगले वेतनमान के रूप में दिनांक 01 नवम्बर, 2013 से संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य किया जायेगा।

2– शासन के संज्ञान में यह आया है कि शासनादेश संख्या–161/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण के बाद भी कतिपय विभागों द्वारा उक्त शासनादेश की गलत व्याख्या कर प्रोन्नत वेतनमान के रूप में अनुमन्यता से उच्च वेतनमान/ग्रेड पे का लाभ ए0सी0पी0 के अन्तर्गत दिया जा रहा है। विभिन्न विभागों से प्राप्त सन्दर्भों एवं पृच्छाओं के कम में ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नत वेतनमान के सम्बन्ध में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जाती हैः–

(1) ऐसे कार्मिकों के लिए पदोन्नत वेतनमान का तात्पर्य केवल उनके संवर्गीय ढांचे एवं उनकी संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पदोन्नति के पदों के वेतनमान से है। जहाँ संवर्गीय ढाँचे में पदोन्नति के पद उपलब्ध नहीं हैं वहाँ धारित वेतनमान से अगला वेतनमान ए0सी0पी0 के रूप में देय होगा।

(2) ए.सी.पी. की व्यवस्था विषयक शासनादेश दिनांक 06.11.2013 के अन्तर्गत अपेक्षित पदोन्नति के पद के रूप में अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पद शामिल नहीं हैं क्योंकि समयमान वेतनमान, ए.सी.पी. एवं एम.ए.सी.पी. सम्बन्धी व्यवस्था मात्र राज्य सेवा संवर्ग में नियुक्त कार्मिकों के लिए लागू किया गया है।

(3) जहां राज्याधीन सेवाओं से अखिल भारतीय सेवाओं में इन्डेक्शन की व्यवस्था के फलस्वरूप राज्य सेवा संवर्ग से अखिल भारतीय सेवा संवर्ग में पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां होती है वहाँ अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पद को राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिकों के लिए ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय वेतनमान हेतु पदोन्नति का पद नहीं समझा जायेगा क्योंकि अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पदों की सेवा शर्तें राज्य सरकार के नियमों से नहीं अपितु भारत सरकार के नियमों से विनियमित होती है जबकि ए0सी0पी0 की व्यवस्था राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में किसी राज्य सेवा संवर्ग के कार्मिक को उक्त शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर, 2013 के अधीन अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के पदों का वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा अपितु उन्हें वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में तत्समय धारित वेतनमान का अगला वेतनमान अनुमन्य होगा।

3– कृपया उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। यदि किसी कार्मिक को उक्त व्यवस्था से इतर अधिक भुगतान किया गया हो तो उसकी वसूली/समायोजन अगामी माहों में देय वेतन से किया जाना सुनिश्चित किया जाय। भविष्य में अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकर्ता अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा ऐसे अधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन/पेंशन से की जायेगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(7)40/2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/बरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।